उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-2
संख्या-11/394 एम0एम0/26-2-2013-275(8)/2007
लखनऊ: दिनांक: 04 दिसम्बर, 2013

कार्यालय-ज्ञाप

मद्यनिषेध कार्यक्रमों को सफल बनाने व उसके पक्ष में उपर्युक्त वातावरण तैयार किये जाने हेतु राज्य स्तर पर मद्यनिषेध परिषद का गठन कार्यालय ज्ञाप संख्या-2253/26-1-2000-275(8)/07, दि0 02.06.2010 द्वारा 03 वर्ष के लिये किया गया था, के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय राज्य स्तर पर मद्यनिषेध परिषद के पुनर्गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। इस परिषद के विधान, उद्देश एवं कार्य निम्नलिखित होंगे:-

1- इस संगठन का नाम उत्तर प्रदेश राज्य मद्यनिषेध परिषद होगा।

2- परिषद का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राज्य होगा।

3- परिषद के उद्देश्य तथा कार्यकलाप निम्नलिखित होंगे:-

(क) जनता से नशा निवारण कार्य के लिए अधिकतम सहयोग पाने का प्रयत्न करना व मद्यनिषेध की सफलता के लिए उपयुक्त वातावरण बनाना व प्रबल जनमत जागृत करना।

(ख) मादक पेयों व पदार्थो की निषेध सम्बन्धी समस्याओं जैसे अवैध मद्याकर्षण तस्करी एवं दुरूपयोग के विरूद्ध जनमत को प्रचार साधनों द्वारा सामाजिक आधार पर संगठित करना।

(ग) राज्य में मादक वस्तुओं से सम्बन्धित अपराधों को पकड़ने तथा रोकने की रीतियों में सुधार के सुझाव देना व सहयोग करना।

(घ) मद्यपान से ध्यान हटाने के लिए मनोरंजन के साधन तथा अन्य कार्यवाहियॉ अपेक्षित हो उनके बारे में परामर्श देना।

(ड़) मद्यनिषेध की सफलता के लिए सामान्य रूप से जो अन्य कार्यवाहियॉ अपेक्षित हो उनके बारे में परामर्श देना।

(च) नशीले पदार्थो के प्रयोग से ग्रस्त रोगियों के उपपचार एवं उसके पुनर्वास की व्यवस्था के सम्बन्ध में परामर्श देना।

4- परिषद के निम्नलिखित पदाधिकारी व सदस्य होंगे:

1.	मा0 मद्यनिषेध मंत्री जी।	अध्यक्ष
2.	मा0 मद्यनिषेध मंत्री जी द्वारा नामित व्यक्ति।	उपाध्यक्ष
3.	प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग।	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग।	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग।	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव/सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग।	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।	सदस्य
9.	प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।	सदस्य

http://shasanadesh.up.nic.in

10.	प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग।	सदस्य
11.	प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग।	सदस्य
12.	प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं औषधि नियन्त्रण विभाग।	सदस्य
13.	प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना विभाग।	सदस्य
14.	मा0 मद्यनिषेध मंत्री जी द्वारा नामित विधान सभा का 01 सदस्य।	सदस्य
15.	मा0 मद्यनिषेध मंत्री जी द्वारा नामित विधान परिषद का 01 सदस्य।	सदस्य
16.	मद्यनिषेध कार्य में रूचि और आस्था रखने वाले महिला समाज का 01 सदस्य।	सदस्य
17.	मद्यनिषेध कार्य में रूचि और आस्था रखने वाले युवा वर्ग का 01 सदस्य।	सदस्य
18.	मद्यनिषेध कार्य में रूचि और आस्था रखने वाले रचनात्मक कार्य में सक्रिय सामाजिक एवं स्वैच्छिक संस्था के 02 प्रतिनिधि।	सदस्य
19.	राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0।	सदस्य/सचिव

5- परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार अवशय होगी और बैठक में 1/3 सदस्यों की उपस्थिति में कोरम पूरा माना जायेगा।

6- परिषद का कार्यकाल इस कार्यालय-ज्ञाप के निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष का होगा। किसी सदस्य द्वारा कार्यकाल के मध्य में रिक्त किये गये स्थान की पूर्ति शेष अवधि के लिए उसी प्रक्रिया द्वारा होगी, जिस प्रकार उस सदस्य की नियुक्ति परिषद में की गई थी।

7- राज्य मद्यनिषेध अधिकारी परिषद के कोष का समस्त लेखा-जोखा रखेगें।

8- श्री राज्यपाल महोदय फाइनेंशियल हैण्डबुक खण्ड-3 के नियम-20 (बी) के अन्तर्गत आदेश देते है कि उक्त परिषद के ऐसे गैर सरकारी सदस्यों जो उस स्टेशन के स्थानयीय निवासी नहीं है जहॉ परिषद का मुख्यालय है या जहॉ उसकी बैठक हो, को परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए की गई यात्राओं तथा पड़ाव के लिए नियमानुसार प्रथम श्रेणी के सरकारी अधिकारियों को देय, यात्रिक और दैनिक भत्ते के बराबर यात्रिक भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जायेगा। उपरोक्त नियम के नोट 3/1 के अपवाद के अधीन यह भत्ते उन लोगों के सामान्य निवास स्थान से परिषद की बैठक के स्टेशन तक तथा वहॉ से सामान्य निवास स्थान की यात्राओं के लिए देय होंगे। अगर यात्रा के समय रेलवे रियायती दर पर टिकट देती है तो यात्रिक भत्ता रेलवे के वास्तविक किराये व प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को देय प्रासंगिक व्यय के बाराबर देय होगा। यदि कोई गैर सरकारी सदस्य विधान मण्डल या संसद का सदस्य भी है तो उसको रेल से यात्रा करने के लिए रेल का किराया नहीं मिलेगा बल्कि केवल उस आदेशानुसार प्रासंगिक व्यय देय होगा क्योंकि उनकों रेल यात्रा के लिए मुफ्त कूपन पास मिलते है। मासिक तथा दैनिक भत्ता उक्त नियम के नीचे अंकित 1 से 4 तक प्राविधानों के अधीन होगा। गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा-भत्ते पर निहित व्यय परिषद द्वारा परिषद की निधि से वहन किया जायेगा।

9- गैर सरकारी सदस्यों की यात्रा के सम्बन्ध में परिषद के सचिव राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उत्तर प्रदेश नियन्त्रक अधिकारी होगें।

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

पृसं0- 394एम0एम0(1)26-2-2013, तद्दिनांक

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रतिलिपि निम्नलिखति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्रीजी, मद्यनिषेध विभाग, उ0प्र0।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं समाज कल्याण आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव श्रम/महिला एवं बाल विकास/ आबकारी/माध्यमिक शिक्षा/ उच्च शिक्षा/चिकित्सा एवं स्वास्थय/गृह/नगर विकास/खाद्य एवं औषधि नियन्त्रण/सूचना विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. सचिव, विधान परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
8. सचिव, विधान सभा उ0प्र0 लखनऊ।
9. अध्यक्ष, उ0प्र0 नशा बन्दी परिषद गांधी भवन, लखनऊ।
10. ड्रग कन्ट्रोलर, उ0प्र0 लखनऊ।
11. वित्त (सामान्य) अनुभाग-4
12. वित्त (वयय-नियंत्रण) अनुभाग-3
13. राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
14. समस्त क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं सामाजोत्थान अधिकारी, उ0प्र0।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

राज कुमार त्रिवेदी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in